

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०-.....66/2016-12.....

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
0.21	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल-झाड़ी) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>अरर</u>.....थाना नं० <u>0264</u> खाता सं० <u>63</u>.....प्लॉट सं० <u>865</u>..... रकबा <u>0.40</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल-झाड़ी, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>11</u> के पृष्ठ सं० <u>26</u> पर जमाबंदी रैयत <u>विनय</u>..... <u>साव पिता हरि साव</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>20/01/2021</u> को उपस्थापित करें।	


 अधिकारी,
 छत्तरपुर।

20/10/21 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कच्चा का छात्रा सन् १९७५, मजान

सन् १९७५-२०१५

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 21.01.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

21.01.22

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा भरर मौजा नं० 0264 खाता सं०-63 प्लॉट सं०-865, रकबा 0.40 किस्म जंगल-झाड़ी खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल-झाड़ी दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार जिगोद खान पिरा हिरा खान के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 26/II को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 26/II को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं०..... ६६ / 2016-17/अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम विलोद साह पिता - हीरा साह

ग्राम - अरर थाना - छत्तरपुर

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा अरर थाना नं० 0264 खाता सं० ६३ खेसरा नं० ८६५ रकबा ०.४६ से संबंधित आपके नाम से ह० नं० IV के पंजी-II भाग II के पृष्ठ 2६ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

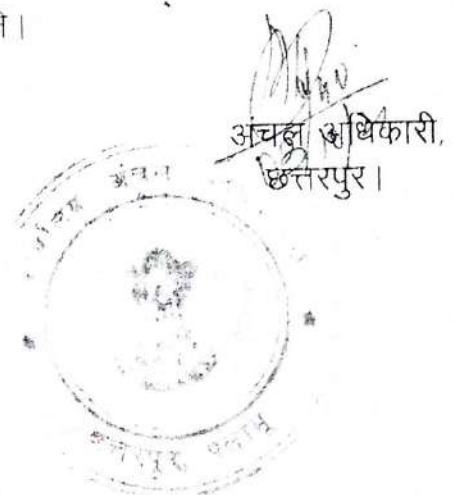
अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 20/10/21 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपको उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर

8/10/21



संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जिला - पल्लार अंचल - छत्तीसगढ़

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
विनोद धाव	उमर	264	63	865	0.40	अंतराष्ट्रीय जंगल-श्री 15	
पिता धीरा लाव						माहिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- धान क्षेत्र

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- प्राधिकार कालम में विवरण दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- प्राधिकार कालम में विवरण दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी प्राधिकार के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- प्राधिकार कालम में विवरण दर्ज नहीं है

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :- दर्ज नहीं है

अवैध जमाबंदी की जाँच किश राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

चाखिल पंजी-
से मिलाया गया

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- *नहीं*

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- *नहीं*

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- *नहीं*

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- *मौजा-अर ने खाता 63 प्लॉट 965 खसरा 0.40 ए. में मांग पंजी-4 के पृ. 61. 24/11 पर ~~विनोद साव~~ विनोद साव 5/0 द्वारा साव के नाम से जमाबंदी कायम है। प्राधिकार प्रमाण विवरण दर्ज नहीं है। केवल प. 757 दिनांक 31/3/55 के ~~समय~~ से केसर माजो देवी एलि जगु बुईया व इलेनी बुईया द्वारा जमाबंदी बुईया के द्वारा उपरोक्त धर्म की सिद्दी विनोद साव पिला द्वारा साव के भी गई। यदि फ. मा जांच किया उसने इस बात का ज्ञान है कि यह धर्म सिद्दी पूर्व इलेनी बुईया को। ने नाम के पंजी-4 के पृ. 61. 153 पर दर्ज है। परंतु इसका पंजी ने 153 पर सेडा प्रविष्टा के नाम के मांग फिल्ड रखा दर्ज था। इससे धर्म की ~~सिद्दी~~ सिद्दी विवरण में स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में मांग बंदोबस्त ~~प्रति~~ प्रतीत होता है। अतः जमाबंदी ~~रख~~ रखेगी 4891 में मौजबा खाते ~~हैं~~ हैं। ~~अतः जमाबंदी~~ ~~रख~~ रखेगी है।*

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरांत मूल्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

कमाल-2 पर वर्णित प्राधिकृत जमाबंदी कायम में जमाबंदी कायम, होने का आधार पृ. 141 है। पृ. 60 धर्म के जमाबंदी विवरण की है। जिसका किस्त जमाबंदी है। उक्त धर्म विवरण पत्र के माध्यम से प्राप्त है वरमान में मांगधर्म विनोद साव पिला-4 का नाम के नामले पंजी-4 के पृ. 30 26/11 पर दर्ज है। यदि मान्य हो तो उपरोक्त वर्णित धर्म का जमाबंदी को रद्द करने की आवश्यकता पड़ती है।

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त, उत्तरपुर। उत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- पिनोद राव पिता - धीर राव
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी :-
3. जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं: 26 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>अरर</u>	<u>0264</u>	<u>63</u>	<u>865</u>	<u>004050</u>

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- प्राधिकार कालम में वर्ष दर्ज नहीं है
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- कैमजुआ मलिक
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- दर्ज नहीं है
8. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- दर्ज नहीं है
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
:- मौजा पंजी-II में जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं होने के कारण संबंधित भूमि का जाँच करना संभव नहीं है
10. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>786197</u>	<u>25/01/90</u>	<u>89-90</u>
<u>2</u>	<u>4217030</u>	<u>20/01/2001</u>	<u>2000-01</u>
<u>3</u>	<u>3529317</u>	<u>30/11/06</u>	<u>2006-07</u>

मांग
03/07/2022

13/11/22

QR

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

- 1 संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - विनोद साव पिता दीरा साव
- 2 जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मोजा	खाना सं०	खसता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>अमर</u>	<u>264</u>	<u>63</u>	<u>865</u>	<u>0.40 ए०</u>

- 3 जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 11 पृष्ठ सं० 26 पर कायम है -
- 4 जमाबंदी किस वर्ष कायम है मोग पैगी के प्राधिकार फॉल्लोम मोग कायम एवं वर्ष दर्ज नहीं है
- 5 खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतोदार का नाम :- जैशमलका भागिक
- 6 किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- सक्षम प्राधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है
- 7 यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम मोग पैगी के प्राधिकार फॉल्लोम मोग कायम एवं वर्ष दर्ज नहीं है
- 8 मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती - मोग पैगी के प्राधिकार फॉल्लोम मोग कायम एवं वर्ष दर्ज नहीं है
- 9 संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दखिल रिटर्न / वन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) मोग पैगी के प्राधिकार फॉल्लोम मोग कायम एवं वर्ष दर्ज नहीं है

- 10 संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>786197</u>	<u>25-1-90</u>	<u>89-90</u>
<u>2</u>	<u>4217030</u>	<u>20-1-2001</u>	<u>2001-01</u>
<u>3</u>	<u>3529317</u>	<u>30-11-06</u>	<u>2006-07</u>

जल

जल

वर्तमान जमाबंदीदारी का नाम -> विनोद साव पिता दीरा साव